Ll.b.
2semester
Legal history.

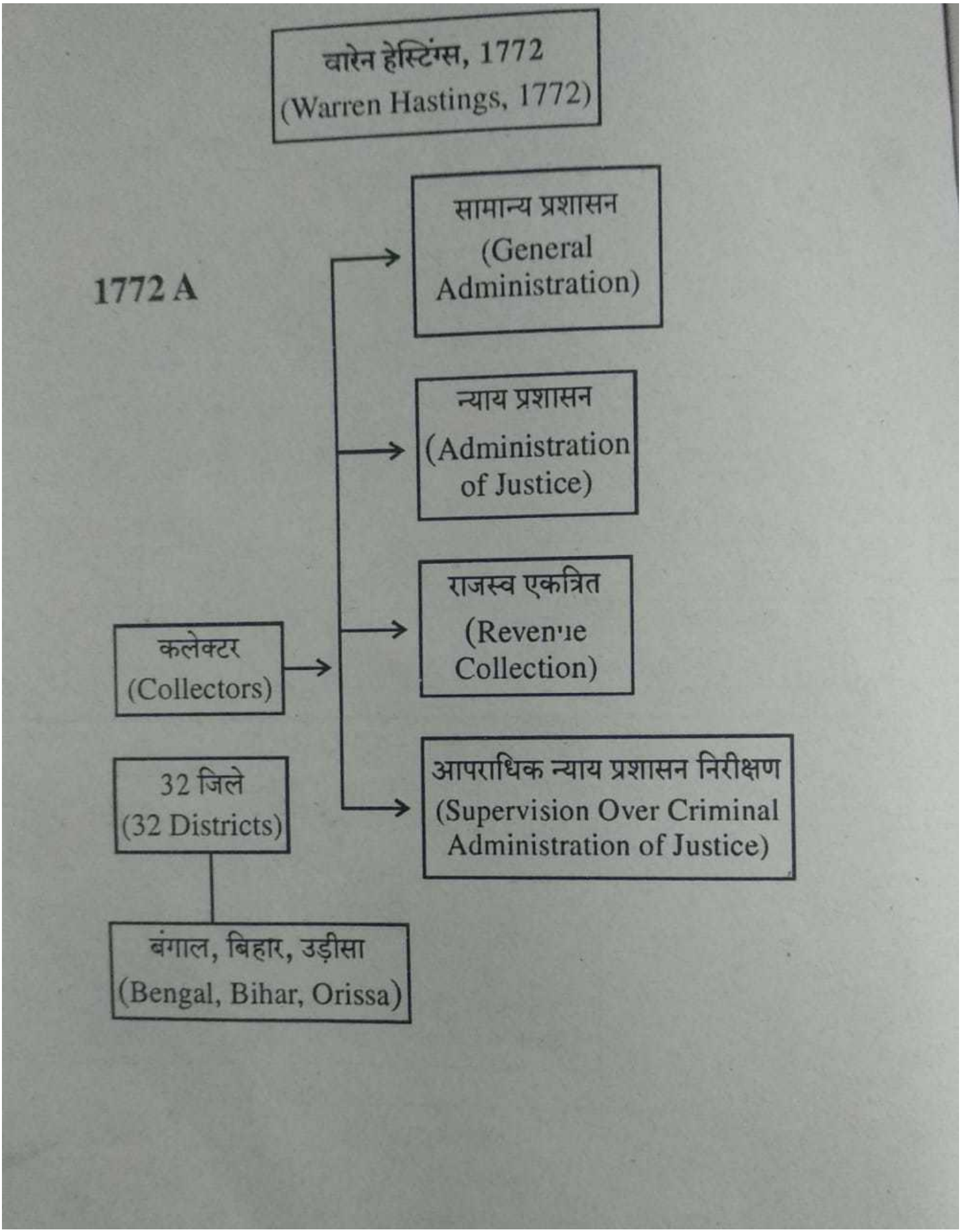

वारेन हेस्टिंग्स, 1772
(Warren Hastings, 1772)

वारेन हैस्टिंग्स

न्यायिक सुधारों की दिशा में वारेन हैस्टिंग्स का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अदालत व्यवस्था की नींव वारेन हैस्टिंग्स द्वारा रखी गई। वारेन हैस्टिंग्स एक प्रतिभाशाली एवं महत्वाकांक्षी युवक था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी में वह एक साधारण लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था, परन्तु अपने अथक परिश्रम एवं न्याय कौशल के आधार पर वह बंगाल की शासन समिति का प्रमुख सदस्य और बाद में कलकत्ता का राज्यपाल एवं 1773 के रेग्यूलेटिंग अधिनियम के द्वारा इसे महाराज्यपाल नियुक्त किया गया।

नन्द कुमार के मामले में वारेन हैस्टिंग्स यद्यपि आलोचना का पात्र बना था लेकिन न्यायिक सुधारों की दृष्टि से उसे विधिक इतिहास में याद किया जाता है। वारेन हैस्टिंग्स ने राजस्व एवं दीवानी न्याय प्रशासन में बदलाव किया था। आपराधिक न्याय में उसने 1781 में बहुत मामूली बदलाव किया था। आपराधिक न्याय व्यवस्था में बदलाव 1790 में कार्नवालिस द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि अदालत व्यवस्था की नींव वारेन हैस्टिंग्स ने डाली थी इसका पालन पोषण कार्नवालिस ने किया था तथा आज की यौवन अवस्था में विलियम बेन्टिग्स ने लाकर खड़ा किया।

वारेन हैस्टिंग्स की न्यायिक सुधार योजनाएँ

वारेन हैस्टिंग्स की न्यायिक सुधार योजनाओं को चार चरणों में विभक्त किया जा सकता है–

1. सन् 1772 की योजना
2. सन् 1774 की योजना
3. सन् 1780 की योजना
4. सन् 1781 की योजना

सन् 1772 की न्यायिक योजना

सन् 1772 की न्यायिक योजना का स्थान वारेन हैस्टिंग्स की योजनाओं में सर्वोपरि है। इस योजना के द्वारा वारेन हैस्टिंग्स ने न्याय प्रशासन एवं कम्पनी की कार्य प्रणाली में सुधार करने का प्रयत्न किया था। इस व्यवस्था में कई कमियां भी थी, जिनका ज्ञान स्वयं वारेन हैस्टिंग्स को भी था। फिर भी उसने प्रयत्न करके मुगल न्याय व्यवस्था को समाप्त कर आधुनिक न्याय व्यवस्था की आधारशिला रखी।

कम्पनी को दीवानी प्राप्त हो जाने के सात वर्ष तक न्याय व्यवस्था में व्याप्त दोषों का निवारण नहीं हो पाया था। सन् 1772 में वारेन हैस्टिंग्स ने इसके दोषों को पूरा करने की योजना बनाई।

सर्वप्रथम उसने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र को छोटी-छोटी इकाई में विभक्त कर 36 जिले बनाये।

कलेक्टर की नियुक्ति—प्रत्येक जिले में एक अंग्रेज अधिकारी (कम्पनी के सेवक) को कलेक्टर नियुक्त किया।

कलेक्टर का कार्य—

1. जिले का सामान्य प्रशासन देखना।
2. राजस्व वसूल करना।
3. राजस्व एवं दीवानी सम्बन्धित विवादों को निर्णित करना। (मौफ्फसिल अदालत के न्यायाधीश के रूप में)
4. मौफ्फसिल फौजदारी अदालत के सुपरवाइजर का कार्य करना।

कलेक्टर इस योजना का मुख्य बिन्दु था। दीवानी एवं आपराधिक न्याय व्यवस्था में सीमा स्पष्ट कर दी गई।

1. दीवानी न्याय प्रशासन—दीवानी न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए तीन प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई।

(अ) लघुवाद न्यायालय

(ब) मौफ्फसिल दीवानी अदालत

(स) सदर दीवानी अदालत

(अ) लघुवाद न्यायालय (Small causes court)—यह सबसे निम्न स्तर का न्यायालय था। जिले को परगनाह में विभक्त किया गया था। प्रत्येक परगनाह का मुख्य किसान 10 रु. तक के वाद निर्णित कर सकता था। साधारण व्यक्ति के लिए यह व्यवस्था लाभदायक थी।

(ब) मौफ्फसिल दीवानी अदालत (Moffussil Diwani Adalat)—प्रत्येक जिले में एक मौफ्फसिल दीवानी अदालत की स्थापना की गई। जिले का कलेक्टर इस अदालत का पीठासीन अधिकारी (न्यायाधीश) होता था।

इस अदालत को 500 रु. तक के निम्न मामलों में अन्तिम निर्णय करने का अधिकार था।

(अ) चल व अचल सम्पत्ति,

(ब) विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकार विषय से जाति सम्बन्धित मामले, तथा

(स) ऋण, संविदा एवं राजस्व सम्बन्धित मामले।

जमींदार एवं तालुकादारी सम्बन्धित मामले सपरिषद् राज्यपाल के द्वारा निर्णीत किये जाते थे। अदालत सप्ताह में दो बार बैठती थी।

विधि—इस अदालत के द्वारा किये गये निर्णय व्यक्तिगत विधि पर आधारित थे हिन्दुओं के मामलों का धर्मशास्त्र तथा मुसलमानों के मामलों को कुरान के अनुसार निर्णीत किया जाता था।

कलेक्टर मौफ्फसिल अदालत का न्यायाधीश अंग्रेज व्यक्ति था उसे हिन्दू एवं मुस्लिम शास्त्रों का ज्ञान नहीं था इसलिए उसकी सहायतार्थ पण्डित एवं काजी को नियुक्त किया गया। जो उसे मुस्लिम एवं हिन्दू शास्त्रों के विधि के प्रावधानों से अवगत करा वादों को निर्णीत कराने में सहायता करते थे।

500 रु. से अधिक के वादों के निर्णय के विरुद्ध अपील सदर दीवानी अदालत में की जा सकती थी।

(स) सदर दीवानी अदालत (Sadar Diwani Adalat)—कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत स्थापित की गई थी। राज्यपाल एवं उसकी परिषद् के सदस्य इस अदालत के न्यायाधीश होते थे। इसकी गणपूर्ति तीन थी। इसे मौफ्फसिल दीवानी अदालत से 500 रु. से अधिक मूल्य के निर्णीत वादों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार था। न्यायाधीशों की सहायता तथा धर्मशास्त्रों की व्याख्या के लिए इस अदालत में मुख्य पण्डित तथा मुख्य काजी नियुक्त किये गये थे। अदालत की कार्यवाही खुले में होती थी। अदालत में साधारण न्यायालय फीस लगती थी। अदालत की प्रक्रिया सरल एवं सामान्य थी।

2. आपराधिक न्याय प्रशासन—आपराधिक न्याय प्रशासन कम्पनी के नियन्त्रण में नहीं था। कम्पनी दीवान थी इसलिए उसके नियन्त्रण में दीवानी न्याय प्रशासन ही था। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का आपराधिक न्याय प्रशासन नवाब के नियन्त्रण में था। वारेन हैस्टिंग्स ने आपराधिक न्याय प्रशासन हेतु फौजदारी अदालतों की व्यवस्था की। यह अदालतें निम्नलिखित थी–

1. मौफ्फसिल फौजदारी अदालत एवं
2. सदर फौजदारी अदालत

1. मौफ्फसिल फौजदारी (निजामत) अदालत—इस न्यायालय में काजी, मुफ्ती और मौलवी होते थे। काजी एवं मुफ्ती न्याय करते थे। मौलवी मुस्लिम आपराधिक विधि का उद्घोषक होता था। आपराधिक वादों का निर्णय मुस्लिम आपराधिक विधि के अनुसार किया जाता था। यूरोपियन इस न्यायालय के अधीन नहीं आते थे। दीवानी अदालत का न्यायाधीश (कलेक्टर) इस अदालत की निगरानी रखता था। जिससे न्याय निष्पक्ष हो सके। अदालत जुर्माने से लेकर मृत्युदण्ड तक का दण्ड दे सकती थी परन्तु 100 रु. से ऊपर के जुर्माने तथा अंग-भंग एवं मृत्युदण्ड के दण्ड का अनुमोदन सदर फौजदारी अदालत द्वारा होना आवश्यक होता था। अदालत खुली अदालत के रूप में परीक्षण करती थी।

2. सदर फौजदारी (निजामत) अदालत—इस अदालत को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानान्तरित कर दिया गया। यह मौफ्फसिल फौजदारी अदालतों से अपील की सुनवाई करती थी। इसका पीठासीन अधिकारी (न्यायाधीश) एक भारतीय अधिकारी दरोगा-ए-अदालत (डिप्टी नवाब) होता था, उसकी सहायतार्थ मुख्य काजी, मुख्य मुफ्ती एवं मुख्य मौलवी नियुक्त किये गये थे। इन अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से की जाती थी। इस अदालत की कार्यवाही पर सदर दीवानी अदालत के न्यायाधीश (सपरिषद महाराज्यपाल) द्वारा निगरानी की जाती थी। सदर फौजदारी अदालत को मौफ्फसिल फौजदारी अदालत द्वारा जारी किये गये

निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अधिकार था। इस अदालत की स्वीकृति के बिना मौफ्फसिल फौजदारी अदालत द्वारा अंग विच्छेदन एवं मृत्युदण्ड का दण्ड नहीं दिया जा सकता था। अंग-विच्छेदन एवं मृत्युदण्ड के आदेश पर नवाब का हस्ताक्षर होना आवश्यक था। नवाब आपराधिक न्याय प्रशासन का मुख्य अधिकारी था।

अपराध विधि—आपराधिक न्याय प्रशासन मुस्लिम आपराधिक विधि के अनुसार होता था। डकैती पर अंकुश लगाने के लिए मुस्लिम विधि में परिवर्तन किया गया। डकैत को उसके गांव में जाकर फांसी पर चढा दिया जाता था। उसके परिवार के सभी सदस्यों को राज्य का गुलाम बना लिया जाता था। कभी-कभी डकैत के गांव पर सामूहिक जुर्माना किया जाता था। ऐसी कठोर सजा की व्यवस्था डकैती को समाप्त करने के लिए की गई थी।

राजस्व प्रशासन—जिले का कलेक्टर सपरिषद्-राज्यपाल से युक्त राजस्व निगम के नियन्त्रण में अपने जिले के भू-स्वामियों से राजस्व वसूल करता था।